email: cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन/फैक्स–0135–2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक – 236 / 12-1 दिनांक, मुनिकीरेती 30 / 07 /2021,।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोड़ल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना में मूलगढ–ठेला–गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पाण्डव गांव तक विस्तार कार्य के निर्माण हेतु 4.447 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/49512/2020

सन्दर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी का पत्रांक–231/12–1, दिनांक–28.07.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव पर आपके द्वारा लगाई गई ऑनलाईन आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी द्वारा उपरोक्त संदर्भित से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है।

Point No.	Shortcomings	Clarification/reply
01	On persual of the proposal it seen that a separate proposal having online No. FP/UK/ROAD/42172 2019 to connect Bhilangana and kirtinagar (3.9737 Ha.) With felling of 719 trees was earlier proposed and the alignement of this road is connected with the proposed alignment FP/UK/ROAD/42172/2019. The State Government may provide a justification to submit to separate proposal and Submit Consolidated Proposal.	उपरोक्त आपत्ति के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण प्रस्तुत करते हुये स्पष्ट किया है कि वन भूमि ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/49516/2020 अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली के अन्तर्गत भेलगढी से पाण्डवगांव तक मोटर मार्ग प्रस्तावित है तथा FP/UK/ROAD/42172/2019 अ0ख0, लो0नि0वि, कीर्तिनगर के अन्तर्गत धार पयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसोड–पन्याली होते हुए। बनतोलीखाल नैनचामी (पाण्डवगांव) तक मोटर मार्ग प्रस्तावित है। भेलगढी से पाण्डवगांव तक मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–2171/111(2)/ 16–09 (एम0एल0ए0)/2015, दिनांक–19–07–2016 के द्वारा अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली को प्राप्त हुई है तथा स्यालसौड–पन्याली, होतु हुए बनलोलीखाल नैलचामी (पाण्डवगांव) तक मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0–382/111(2)/17–10 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक–01–08–2017 के द्वारा अ0ख0, लो0नि0वि0 कीर्तिनगर को प्राप्त हुई है। प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अलग–अलग खण्डों व अलग वर्षो में प्राप्त होने के कारण उक्त मोटर मार्ग को वनभूमि प्रस्ताव दो भागों में गठित किया गया है।
02	It is seen that the alternatives for the proposal has not been expolored.	उपरोक्त आपत्ति के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण प्रस्तुत करते हुये स्पष्ट किया है कि भेलगढी से

Scanned with CamScanner

	State Government may explore the alternatives alignment in view of avoiding the dense path of the forest.	पाण्डवगांव मोटर मार्ग का सम्पूर्ण क्षेत्र अतिसघन वनों से आच्छादित होने के कारण वैकल्पिक समरेखण पर विचार नही किया गया है। यदि वैकल्पिक क्षेत्र अधिग्रहीत होगा तथा अधिकांश वृक्षों के पातन होने की सम्भावना भी बनी रहेगी।
03	State Government is also requested to submit the detailed justification for connecting two existing road having very dense forest area and large number of trees	उपरोक्त आपत्ति के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण प्रस्तुत करते हुये स्पष्ट किया है कि भिलंगना विकास खण्ड का नैलचामी पट्टी क्षेत्र शैक्षणिक व सास्कृतिक दृष्टि से कीर्तिनगर विकासखण्ड से काफी पहले से जुडा रहा है तथा इस क्षेत्र के लोग उच्च शिक्षा गढवाल विश्वविद्यालय परिसर से ग्रहण करते रहे है। इस पट्टी की जिला मुख्यालय नई टिहरी से दूरी लगभग 50 किमी0 है। प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से क्षेत्रावासियों को मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से भी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।
04	State Government is also requested to submit the distance of Bhilangana to kirtinagar and existing distance reduced form this road duly authenticated by compertent authority.	उपरोक्त आपत्ति के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण प्रस्तुत करते हुये स्पष्ट किया है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से विकास खण्ड भिलंगना की नैलचामी पट्टी (जनंसख्या लगभग 15000) को कीर्तिनगर से सडक संयोजकता प्राप्त होगी। इस क्षेत्र के केन्द्र बिन्दु ठेला (नैलचामी) से कीर्तिनगर की दूरी मात्र 49 कि0मी0 रह जायेगी, जो कि वर्तमान में जाखधार होते हुये 75 कि0मी0 है। अतः मोटर मार्ग के निर्माण से सडक मार्ग की दूरी 26 कि0मी0 कम होगी, तथा इस क्षेत्र को राष्ट राजमार्ग सं0–58 के मुख्य विपणन केन्द्र कीर्तिगनर व श्रीनगर से प्रत्यक्ष सडक संयोजकता प्राप्त होगी।

भवदीय

(डॉ0 धीरज पाण्डेय)
वन संरक्षक

संख्या – /, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि – प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 धीरज पाण्डेय)
वन संरक्षक

Scanned with CamScanner